प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –391/2023

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र भीमसेन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भीमसैन पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. सन्जुबाला पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. शकुन्तला पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. माया कुमारी पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः **30.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 8/9 की कुल 29.7310 हैक्ट भूमि में से 2079/22870 हिस्सा व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 650/622 की कुल 8.8400 हैक्ट भूमि में से 159/650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि पूर्व मे वादी के दादा श्योकरण के नाम दर्ज थी उनके देहान्त के बाद वादी के पिता अर्थात प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हक हिस्सा अनुसार अपने हको की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 जो की वादी की बहिने है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वादी भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 1 ने भी उक्त वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा था वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 8/9 की कुल 29.7310 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 44737/297310 हिस्सा भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है एवं खाता स0 650/622 की कुल 8.8400 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 159/650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा [illegible] वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो [illegible] करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible] वाद डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्र[illegible]वादीगण को तलब किया [illegible]। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की

वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 8/9 की कुल 29.7310 हैक्ट भूमि में से 2079/22870 हिस्सा व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 650/622 की कुल 8.8400 हैक्ट भूमि में से 159/650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वाद वादी प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 8/9 की कुल 29.7310 हैक्ट भूमि में से 2079/22870 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 650/622 की कुल 8.8400 हैक्ट भूमि में से 159/650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीली जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– सोनड़ी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –391/2023
अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र भीमसेन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भीमसैन पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. सन्जुबाला पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. शकुन्तला पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. माया कुमारी पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 391 सन 2023 दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 8/9 की कुल 29.7310 हैक्ट भूमि में से 2079/22870 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 650/622 की कुल 8.8400 हैक्ट भूमि में से 159/650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:08 IST
Reason: SelfAttested